

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 407]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 22, 2015/ पौष 1, 1937

No. 407]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER, 2015 / PAUSA 1, 1937

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 22 दिसम्बर, 2015

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2015

सं. सेबी/ एल. ए. डी. - एन.आर. ओ./ जी. एन./ 2015-16/ 027.- बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2015 कहा जा सकेगा।
2. वे 1 अप्रैल, 2016 को प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में, विनियम 34 में, उप-विनियम (2) में,-
 - i. खंड (च) में, शब्दों “पर शीर्ष” के पश्चात् और शब्दों “सूचीबद्ध एंटिटियों” से पूर्व दिया हुआ शब्द “सौ” शब्दों “पाँच सौ” से प्रतिस्थापित हो जाएगा;

- ii. खंड (च) के परंतुक में, शब्दों “पर शीर्ष” के पश्चात् और शब्दों “सूचीबद्ध कंपनियों” से पूर्व दी हुई संख्या “100” शब्दों “पाँच सौ” से प्रतिस्थापित हो जाएगी।

यू.के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन- III /4/असा./69-जेड बी/(298)]

पाद टिप्पण : भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/013, 2 सितम्बर 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 22nd December, 2015

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2015

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/027.— In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, namely:—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2015.
2. They shall come into force on the 1st day of April, 2016.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, in regulation 34, in sub regulation (2), –
 - i. in clause (f), after the words “for the top” and before the words “listed entities”, for the word “hundred” the words “five hundred” shall be substituted;
 - ii. in the proviso to clause (f), after the words “other than top” and before the words “listed companies”, for the number “100” the words “five hundred” shall be substituted.

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT.-III/4/Ext./69-ZB/ (298)]

Footnote: The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 2nd September 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/013.